# जन सुनवाई कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)

मैसर्स रामप्रकाश पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 03/1990 (R) 07/2000 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,44,445 **(ROM)** टन प्रतिवर्ष **(Minerals 400001 TPA & Waste 44444 TPA)** एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 15.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल दो खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 02.03.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 एवं Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,II (m) dated 28th Sep. 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत मैसर्स रामप्रकाश पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 03/1990 (R) 07/2000 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,44,445 (ROM) टन प्रतिवर्ष (Minerals 400001 TPA & Waste 44444 TPA) एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 15.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल दो खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति के संबध में श्री रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2023 को अपरान्ह 02:00 बजे, ग्राम राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सिरौंद तहसील– रूपवास, जिला – भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित परियोजना ताज ट्रैपेजियम जोन (टी.टी.जैड.) के अन्तर्गत आती है।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट– 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 30.01.2023 को दैनिक भास्कर एवं सांध्य ज्योति दर्पण, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मैसर्स रामप्रकाश पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सैण्ड स्टोन माइन्स (खनन पट्टा संख्या 03/1990 (R) 07/2000 क्षेत्रफल 10.00 हैक्टेयर) निकट ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,44,445 (ROM) टन प्रतिवर्ष (Minerals 400001 TPA & Waste 44444 TPA) एवं कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 15.00 हैक्टेयर (क्लस्टर में कुल दो खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आँकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि जनसुनवाई में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं सरोकार होता है, साथ ही परियोजना से पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जन मानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव अथवा राय दे सकते है।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई की पर्यावरण परामर्शदाता श्री माजित खान द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया की प्रस्तावित खदान परियोजना में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावक द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना एवं पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री रामसहाय जी, निवासी ग्राम नगला क्षत्रिय सिगलिया, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना बताया गया।

तत्पश्चात् ग्राम पंचायत समिति सदस्य श्री बबलू कुमार शर्मा निवासी ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन पट्टा सरकार द्वारा आवंटित किया गया है और प्रस्तावित परियोजना से उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि खनन कार्य के लिये समुचित सडक मार्ग की व्यवस्था नहीं है और गॉव की मुख्य सडक मार्ग अतिक्रमण से अवरूद्ध है। उन्होंने बताया कि परिवहन मार्ग की समस्या से सम्बन्धित अधिकारियों को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है किन्तु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने समस्या के निस्तारण का अनुरोध किया एवं बैठक में उपस्थित सरपंच से डी.एम.एफ.टी. फण्ड में आवंटित राशि को गॉव के सडक मार्ग की समुचित व्यवस्था निर्माण हेतु व्यय करने का आग्रह किया।

तदोपरान्त श्री हेतराम जी निवासी ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि पंचायत समिति सदस्य द्वारा अवगत कराई गयी सडक मार्ग की समस्या, इस पूरे खनन क्षेत्र की सबसे बडी समस्या है और ट्रैक्टर, ट्रौली जैसे भारी वाहनों के गुजरने से गॉव की सडक पूरी बाधित हो जाती है। उन्होंने बताया कि खनन कार्य ही स्थानीय रोजगार का विकल्प है तथा प्रस्तावित परियोजना से रोजगार के अवसर मिलेंगे।

श्री भीम सिंह गुर्जर जी निवासी ग्राम चुरारी डांग (सिरौंद) तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा परियोजना का समर्थन करते हुए बताया गया कि यदि सडक मार्ग की समस्या का निस्तारण

हो जाता है तो प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय रोजगार का अवसर मिलेगा तथा गॉव की आधारभूत सुविधायें जैसे शिक्षा आदि का विकास होगा।

श्री भगवान सिंह जी निवासी ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन पट्टों का आवंटन आबादी क्षेत्र से दूर किया जाये।

श्री सुजान सिंह निवासी ग्राम सिरौंद तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि यह गॉव पचायत मुख्यालय है फिर भी स्थानीय ग्रामवासी सडक मार्ग की समस्या से परेशान हैं तथा गॉव के सडक मार्ग (रेल्वे फाटक से खसरा संख्या 888 तक) पूरी तरह से अवरूद्ध हो चुके हैं तथा खनन कार्य के परिवहन हेतु खातेदारी जमीन को मार्ग हेतु उपयोग में लाया जा रहा है जिससे कि अधिक सडक दुर्घटना होने का संशय बना रहता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि खनन कार्य के परिवहन हेतु भारी माल वाहनों को वाईपास के रास्ते गॉव के बाहर से निकालने का समुचित इन्तजाम किया जाये जिससे कि कोई सडक दुर्घटना, गॉव के सडक मार्ग को क्षति और अवरूद्धता की समस्या से निजात मिल जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद् व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियॉ सभी सम्मिलित कर सबधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समग्र बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। उनके द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराई गयी सडक मार्ग समस्या व्यक्तिविशेष न होते हुए एक सार्वजनिक समस्या है तथा प्रशासनिक स्तर से समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(विवेक गोयल)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

(रतन कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
भरतपुर, (राज.)